राजस्थान सरकार
विधि (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प. 8(1)विधि–2/2011/पार्ट VIII/133 जयपुर, दिनांक : 01-07-2015

–:आज्ञा:–

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को मध्यस्थों को संदत्त किये जाने वाले मानदेय की दरों के निर्धारण के बारे में निम्नानुसार वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

S.No.	Nature of case	Honorarium
01	On settlement throuth mediation of a matrimonial case [including criminal], custody, guardianship possession.	Rs. 3000/- per case [with two or more connected cases, the maximum would be Rs. 4000/-]
02	All other matters.	Rs. 2000/- per case [with two or more connected cases, the maximum would be Rs. 3000/-]
03	Connected case	Rs. 500/- per case subject to a maximum of Rs. 1000/- [regardless of the number of connected cases]
04	In case of no settlement	No honorarium.

वित्त विभाग की यह भी टिप्पणी है कि उक्त दरें आज्ञा जारी करने के दिनांक से लागू होंगी।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई डी संख्या 101502460 दिनांक 29.06.2015 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

Sd/-
विशिष्ट शासन सचिव,
विधि (वि.र.सं.) विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
3. वित्त (व्यय–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. सहायक निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव,
विधि (वि.र.सं.) विभाग

3-7-2015

12
12.7.18

राजस्थान सरकार
विधि (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.8(1)विधि–2/विरसं(9)/2011 पार्ट/861

दिनांक : 12/07/18

आज्ञा

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से मध्यस्थ के द्वारा 3 या उससे अधिक बैठक करके पक्षकारों के मध्य राजीनामा करवाने का प्रयास किया जाता है और उसके उपरांत भी पक्षकारों के बीच राजीनामा संभव नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में मध्यस्थता केन्द्र के प्रभारी द्वारा वांछित प्रमाण पत्र दिये जाने पर असफल प्रकरणों में भी मध्यस्थ को रूपये 1000/– मानदेय दिये जाने की सहमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय–5) विभाग की आई.डी.संख्या 101803343 दिनांक 05.07.2018 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

10.7.18
विशिष्ट शासन सचिव, विधि
(वि.र.सं.)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सदस्य संचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग।
5. सहायक निवासीय लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

10.7.18
विशिष्ट शासन सचिव, विधि
(वि.र.सं)

PS 1315 12.7.18

JS 12/7/18

M.U

AO/992 12.7.18